समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 228/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह, पिता- सरदार प्र० सिंह, सा०- बाड़ा, थाना- ग्वालपाड़ा (उदाकिशुनगंज), जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 04/1989 (उदाकिशुनगंज थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या- 12434 डी०/1 वर्ष 2003 में अपराधकर्मियों द्वारा छीन लिया गया, के संदर्भ में आलमनगर थाना कांड संख्या 04/2003 दर्ज है। अब तक उक्त शस्त्र नहीं मिल पाया है। वर्त्तमान में अनुज्ञप्ति शस्त्रविहिन है एवं दूसरा शस्त्र क्रय करना नहीं चाहते है। इनके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री विश्वनाथ सिंह, पिता- सरदार प्र० सिंह, सा०- बाड़ा, थाना- ग्वालपाड़ा (उदाकिशुनगंज), जिला-मधेपुरा को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 04/1989 (उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री सिंह को निदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 04/1989 (उदाकिशुनगंज थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में रद्द प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह०/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 56 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-2014.

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा (उदाकिशुनगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री विश्वनाथ सिंह, पिता- सरदार प्र० सिंह, सा०- बाड़ा, थाना- ग्वालपाड़ा (उदाकिशुनगंज), जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा